2025/243

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	**बनाम**	**अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**
श्री धीरेन्द्र असारसा निवासी रोज व्यू आबूपर्वत जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 37 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
01.09.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 23.06.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर द्वारा जरिए पत्रक्रमांक भ्रनिब्यू./परि./2025/5940–41 दिनांक 22.05.2025 द्वारा परिवाद संख्या एच–2094/25 दिनांक 20.05.2025 की जांच व आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला कलक्टर सिरोही को भेजा गया था। उक्त परिवाद पर क्या कार्यवाही की गई। उसकी प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/ जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 23.06.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर द्वारा जरिए पत्रक्रमांक भ्रनिब्यू./परि./2025/5940–41 दिनांक 22.05.2025 द्वारा परिवाद संख्या एच–2094/25 दिनांक 20.05.2025 की जांच व आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला कलक्टर सिरोही को भेजा गया था। उक्त परिवाद पर क्या कार्यवाही की गई। उसकी प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावें। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर से प्राप्त परिवाद संख्या एच–2094/25 दिनांक 20.05.2025 की जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्रक्रमांक /सामान्य/2025/640 दिनांक 05.06.2025 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को भेजा गया था। अतः अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत से सम्बन्धित होने से अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो सकारण आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	